भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4820

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

4820. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक राज्य-वार विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने एक प्रमुख औद्योगिक राज्य तमिलनाडु में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में इस योजना के माध्यम से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या और सृजित रोजगार के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या थूथुकुडी जिले में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के नाते, राज्य-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है। निधियों का उपयोग सृजित मांग और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋणों के आधार पर किया जाता है। पीएमईजीपी के अंतर्गत इसकी शुरुआत अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 18.08.2025 तक) तक संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

(ख): तमिलनाडु में पीएमईजीपी के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग): इसकी शुरुआत अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 18.08.2025 तक) तक, तमिलनाडु राज्य में पीएमईजीपी के अंतर्गत 68,639 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे अनुमानित 6.40 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

(घ): सरकार थूथुकुडी ज़िले सहित देश भर में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। इन स्कीमों में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम शामिल हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

i) **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** यह गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों, तथा आकांक्षी ज़िलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

ii) **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने संयुक्त रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की है ताकि बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और तृतीय पक्ष गारंटी के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जा सके। सीजीटीएमएसई, एमएसई के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करती है।

iii) **उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम:** एक केंद्रीय क्षेत्र की सतत स्कीम है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, दिव्याङ्ग, पूर्व सैनिकों और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुषों और महिलाओं) को स्व-रोज़गार अथवा उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमीय संस्कृति को विकसित करना है।

iv) **एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प):** विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार, डिजिटलीकरण, बाज़ार पहुँच, ऋण आदि को बढ़ावा देकर एमएसएमई के कार्य-निष्पादन को बढ़ावा देना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु रोडमैप के रूप में कार्य करने वाली कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) तैयार करने के लिए प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

v) **एमएसएमई चैंपियंस स्कीम:** एमएसएमई चैंपियंस स्कीम विभिन्न स्कीमों और अंतःक्षेपों को एकल उद्देश्य से एकीकृत, समन्वित और अभिसरित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और एमएसएमई इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, आईपीआर, डिज़ाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए) स्कीम शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 21.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4820 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमईजीपी के अंतर्गत इसकी शुरुआत अर्थात वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 18.08.2025 तक) तक, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**
1	अंडमान निकोबार	26.08
2	आंध्र प्रदेश	1411.42
3	अरुणाचल प्रदेश	89.66
4	असम	827.48
5	बिहार	1371.71
6	चंडीगढ़	8.38
7	छत्तीसगढ	766.61
8	दिल्ली	31.54
9	गोवा	34.16
10	गुजरात*	2378.18
11	हरियाणा	648.85
12	हिमाचल प्रदेश	396.3
13	जम्मू कश्मीर	2075.36
14	झारखंड	580.46
15	कर्नाटक	1518.4
16	केरल	739.82
17	लद्दाख	39.72
18	लक्षद्वीप	1.1
19	मध्य प्रदेश	1684.89
20	महाराष्ट्र**	1469.74
21	मणिपुर	275.36
22	मेघालय	140.67
23	मिजोरम	157.74
24	नागालैंड	286.32
25	ओडिशा	1152.7
26	पुदुचेरी	15.83
27	पंजाब	687.76
28	राजस्थान	1089.38
29	सिक्किम	32.99
30	तमिलनाडु	1754.14
31	तेलंगाना	740.38
32	त्रिपुरा	298
33	उत्तर प्रदेश	3791.89
34	उत्तराखंड	449.21
35	पश्चिम बंगाल	1123.53
कुल		**28095.76**

**** दमण और दीव सहित ** दादरा नगर और हवेली सहित***